राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांक प 9(2)(2)कार्मिक/क-3/99-पार्ट-। जयपुर दिनांक 30.9.2002

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवगण
समस्त प्रमुख शासन सचिवगण
समस्त शासन सचिवगण

परिपत्र

विषयः विभागीय जांच प्रकरणों में विलम्ब से तथा अधिकारी की सेवानिवृति के अंतिम माह में जांच कार्यवाही प्रस्तावित करने बाबत

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियमों के अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित करने के संबंध में कुछ प्रकरणों में यह देखने में आया है कि प्रशासनिक विभाग के स्तर पर लापरवाहीवश अनावश्यक विलम्ब किया जाता है तथा जब आरोपित अधिकारी की सेवानिवृति के कुछ दिन रह जाते हैं उस समय आनन-फानन में जांच कार्यवाही प्रस्तावित की जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है, जिसके कारण कभी कभी आधे-अधूरे व अपूर्ण रिकार्ड के साथ प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजे दिये जाते हैं। यहां तक कि कभी कभी तो सेवानिवृति वाले दिन ही ये प्रस्ताव कार्मिक विभाग में भेजे जाते हैं, जिसके लिये कार्मिक विभाग पर उनको प्राप्त करने तथा उसी दिन आरोप पत्रादि जारी करने के लिये दबाव डाला जाता है।

कार्मिक विभाग द्वारा इस संबंध में समय समय पर अनेक परिपत्रादि जारी किये गये हैं जिनमें विभागीय जांच हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के संबंध में अन्य प्रक्रियात्मक बिन्दूओं के साथ साथ निर्धारित समय-सीमा का उल्लेख भी किया हुआ है जिसके अनुसार किसी भी अधिकारी के विरुद्ध यदि विभागीय जांच का मामला विचाराधीन है तो उसे उस अधिकारी की सेवानिवृति की तिथि के कम से कम 6 माह पूर्व तक कार्मिक विभाग को प्रस्ताव प्रेषित करना आवश्यक रुप से सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि कार्मिक विभाग में जब विभागीय जांच के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो अनुशासनिक प्राधिकारी होने के नाते नियमानुसार उन प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण करना होता है कि क्या प्रथमदृष्टया विभागीय जांच का मामला है अथवा नहीं, क्या वृहद् शास्ति का मामला है अथवा लघु शास्ति का, क्या आरोपों के सन्दर्भ में उसकी पुष्टि के लिये आवश्यक दस्तावेज व रिकार्ड पूरा है अथवा नहीं इत्यादि जिसमें समय लगना स्वभाविक है तथा इसके अतिरिक्त अधिक लम्बी अवधि के बाद बिना किसी न्यायोचित स्पष्टीकरण के आरोप पत्र जारी करने में वैधिक समस्या भी रहती है। इसलिये कार्मिक विभाग में सेवानिवृति के कुछ दिन पूर्व आरोप पत्रादि प्राप्त करने में उनके समक्ष कई कठिनाईयां आती हैं।

राज्य सरकार विभागीय जांच के मामलों में अनावश्यक विलम्ब को बहुत गम्भीरता से ले रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में अब यह निर्णय लिया गया है कि **चालू वर्ष के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में किसी अधिकारी के विरुद्ध यदि प्रस्ताव अधिकारी की सेवानिवृति के अंतिम माह में कार्मिक विभाग को प्रेषित किये जाते हैं तो वे बिना अधोहस्ताक्षरकर्ता के अनुमोदन के कार्मिक विभाग में प्राप्त नहीं किये जायेंगे।** साथ ही अधोहस्ताक्षरकर्ता को पत्रावली प्रस्तुत करते समय विलम्ब के कारणों की जानकारी दी जानी होगी। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक होगा कि विलम्ब से प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों के संबंध में प्रशासनिक विभाग में जिस स्तर पर विलम्ब हुआ है उसके विरुद्ध सख्त आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

मुख्य सचिव